



**सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना**

**(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुसार) (नियम 8(6) के अंतर्गत)**

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सहअनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता / गारंटर व शाखा का नाम	बंधक संपत्तियों का विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि और समय
			मांग सूचना की तिथि	अग्रिम धन	कब्जे की प्रकृति
				जमा करने की अंतिम तिथि	कब्जे की तिथि
1	मैसर्स आशनालम हैण्ड्रीकापट (ऋणी की फर्म) श्री फहीम अहमद पुत्र स्व. श्री रईस अहमद (मालिक) मो. अनीस पुत्र श्री नईम (सह-अनुबंधी) स्व. श्री रईस अहमद पुत्र श्री अमीर अहमद ((सह-अनुबंधी एवं बंधककर्ता) श्री मो. फहीम पुत्र स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) श्री मो. तसलीम पुत्र स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) श्री मो. वसीम पुत्र स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) श्री मो. सलीम पुत्र स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) श्री मो. सलीम पुत्र स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) श्रीमती साहिस्ता पत्नी श्री मो. अनीस पुत्री स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) श्रीमती निगहत पत्नी श्री मो. शाकिर पुत्री स्व. रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) कुमारी नुसरत पुत्री स्वर्गीय श्री रईस अहमद (कानूनी उत्तराधिकारी) सभी का पता: मोहल्ला - फीलखाना, तेली वाली गली, मुल्ला कासिम की मस्जिद के पास, तहसील और जिला - मुरादाबाद, (यूपी) शाखा: लाल बाग, मुरादाबाद	रु. 17,29,857.00 / - दिनांक 31/12/2019 तक + ब्याज और अन्य खर्च	रु. 22,00,000 / - रु. 2,20,000 / -	21.02.2025 समय सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	
			03.02.2020	21.02.2025 (नीलामी से पहले)	सांकेतिक 12.02.2021
2	श्री आसिफ पाशा पुत्र श्री नबी जान (ऋणी एवं बंधककर्ता) पता: 559/3, लाल नगरी, कोहिनूर तिराहा के पास, संमल रोड, सर सैयद नगर, मुरादाबाद, (यूपी) श्रीमती शबाना नाज पत्नी श्री आसिफ पाशा (सह-अनुबंधी) पता: 559/3, लाल नगरी, कोहिनूर तिराहा के पास, संमल रोड, सर सैयद नगर, मुरादाबाद, (यूपी) श्री इकबाल हुसैन पुत्र श्री अमीर हुसैन (सह-अनुबंधी) पता: देहरी, चूड़ी वाली मस्जिद के पीछे, मुरादाबाद, (यूपी) शाखा: टाउन हॉल, मुरादाबाद	एक आवासीय प्लेट संख्या: FA-93, प्रथम तल, जिगर कॉलोनी, तहसील और जिला - मुरादाबाद, (यूपी), जिसका क्षेत्रफल 20.67 वर्ग मीटर, (नामित है श्री आसिफ पाशा पुत्र श्री नबी जान), पंजीकृत है बही संख्या: 1, जिल्द संख्या: 13215, पृष्ठ: 229-248, क्रमांक: 3129, दिनांक 15.03.2021, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय मुरादाबाद चौहद्दी: उत्तर में: प्लैट संख्या: A-90 और खुला क्षेत्र दक्षिण में: प्लैट संख्या: A-96 पूर्व में: 9 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम में: खुला क्षेत्र	रु. 27,27,044 / - दिनांक 01/06/2024 तक + ब्याज और अन्य खर्च	रु. 18,46,000 / - रु. 1,84,600 / -	21.02.2025 समय सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
			01.07.2024	21.02.2025 (नीलामी से पहले)	सांकेतिक 10.09.2024

**सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बंधित शाखा के पास उपलब्ध है।**

नीलामी की नियम व शर्तें 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि के लिये ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। बोलीदाता की बोली स्वीकार होते ही नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय 'जहां है जैसा है जो है' के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलीदाता की धनराशि नीलाम सम्पत्ति के बाद उसी दिन बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। 5. हस्तांतरण सम्बंधी खर्च जैसे रस्टाम्य व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि समस्त खर्च सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जायेंगे। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी करों व देयताओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सम्बंधित शाखा में सम्पर्क करें। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता पांच हजार के गुणांक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। 9. यदि ऋणी नीलामी की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। 10. यह नोटिस ऋणियों/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं को 30 दिन का नोटिस पढ़ा जाये।